कथति लव जहिाद और भूमि जिहाद पर सरकार की कार्रवाई

चर्चा में क्यों

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जनसांख्यिकीय परविर्तन पर बढ़ती चतिाओं के बीच लव जहिाद, भूमि जिहाद और ज़बरन धर्मांतरण के वरिुद्ध कार्रवाई शुरू की है।

मुख्य बदिु

- जनसांख्यिकीय परविर्तनों पर चतिा व्यक्त की गई, वशिष रूप से **पुरुला, धारचूला और नंदनगर** जैसे क्षेत्रों में।
- **उत्तराखंड की जनसंख्या**: लगभग 11.1 मलियिन, जसिमें हदिू धर्म प्रमुख धर्म (82.97%) है, उसके बाद इस्लाम (13.95%) और ईसाई धर्म (0.37%) हैं, जैसा कि 2011 की जनगणना तथा 2023 के अनुमानों द्वारा पता चलता है
  - जबकि राज्य में शहरी प्रवास और वकिास हो रहा है, जनसांख्यिकीय परविर्तनों को लेकर चतिाओं ने तनाव बढ़ा दयिा है, वशिष रूप से धार्मकि रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।
- **उत्तराखंड धार्मकि स्वतंत्रता अधनियिम, 2018**
  - इस कानून के तहत धर्म परविर्तन करने वाले लोगों को यह घोषति करना आवश्यक है कि उनका धर्म परविर्तन ज़ोर जबरदस्ती, दबाव या धोखाधड़ी के माध्यम से नहीं कयिा गया है
    - यह प्राधकिारियों को उन ववािहों को अमान्य घोषति करने का अधकिार भी देता है, जो केवल लड़की को एक धर्म से दूसरे धर्म में परविर्तति करने के लयि कयि गए हों।
  - **कड़े प्रावधान**: यह अधनियिम गैरकानूनी धार्मकि रूपांतरण को संज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध बनाता है तथा बल, लालच या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को अपराध मानता है।
  - **अधकि सज़ा**: अवैध धर्म परविर्तन के लयि अपराधयिों को न्यूनतम 3 वर्ष से अधकितम 10 वर्ष तक की जेल की सज़ा हो सकती है।
  - **उच्च जुर्माना**: 50,000 रुपए का अनविार्य जुर्माना लगाया जाता है तथा संभावति रूप से अपराधी को पीड़ति को मुआवज़े के रूप में 5 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/government-s-crackdown-on-alleged-love-jihad-and-land-jihad